"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी:2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 जुलाई 2021 — आषाढ़ 21, शक 1943

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 जुलाई 2021

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-2/2019/998/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को एफ 11-2/2019/531/मबावि/50 दिनांक 17-03-2021 द्वारा प्रावधिक पंजीयन किया गया था, जिसे आंशिक संशोधन करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत् स्थायी पंजीयन प्रदान करता है, जो पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 17-03-2021 से प्रभावशील होगा :-

क्र.	संस्था का नाम	डाक का पूरा पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था का प्रकृति	स्वीकृत क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	निदान सेवा परिषद्	बी. टी. आई. रोड, कौशिक कॉलोनी, जिला-महासमुंद को महासमुंद	महासमुंद	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10		05/MSMD/20-21
2.	अर्पण कल्याण समिति	मॉ शारदा ट्रेवल्स के पास, न्यू बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर	कांकेर	बालगृह (बालिका)	0	50	03/KNKR/20-21

1. यह स्थायी पंजीयन पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 17-03-2021 से 05 वर्ष हेतु वैद्य होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा अनिवार्यत: किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. केरकेट्टा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.